न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 68/25 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2025/110

उनवान

शराब पुत्र रहमत जाति मेव निवासी लुकेरी तहसील फिरोजपुर झिरका जिला मेवात नूह हाल आबाद थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग। .....अपीलान्ट

बनाम

1. नसरु पुत्र स्व. मुंशी
2. कमरूद्दीन पुत्र रहमत
3. धुड्ड पुत्र रहमत
4. रमजान पुत्र जहाज
5. मुहरु पुत्र जहाज
6. फाजू पुत्र जहाज
7. फौजू खॉ पुत्र रहमान
8. मुवीन पुत्र रहमान
9. हाकम पुत्र रहमान
10. धुड पुत्र दीनू
11. इसमाइल पुत्र शेरखां
12. हाजी आजाद पुत्र सहजमल
13. सिराजू पुत्र सहजमल
14. हक्कू पुत्र सहजमल
15. पप्पू पुत्र सहजमल

जाति मेव, निवासी थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग।

16. वसीना पत्नी उमरमोहम्मद जाति मेव, निवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला डीग।
17. रहमती पत्नी समीखॉ जाति मेव निवासी थलचाना तहसील पहाडी जिला डीग।
18. हमीदी पत्नी सिरदार मौहम्मद
19. महमूदी पत्नी मौहम्मद इलियास

जाति मेव निवासी रेवास, तहसील नूह जिला मेवात हरियाणा

20. तहसीलदार पहाड़ी
21. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा कठौल पहाडी जिला डीग।
22. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जुरहरा तहसील कामां जिला डीग।

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 281/69 (281/68) बउनवानी मुंशी बनाम शराब में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.1969 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग, दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री पंकज कुमार उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक : 03.06.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा मु.स. 281/69 (281/68) बउनवानी मुंशी बनाम शराबी में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.1969, दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता स्व. मुंशी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक घोषणा का दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलान्ट व अपीलान्ट की नानी स्व. उजीरी के विरुद्ध इस आशय से पेश किया था कि विवादित आराजी 20, 36, 64, 166, 144, 577, 582, 583, 1136, 1211, 1221, 1222, 1246, 1156, 1162, 1148 जिसके हाल खसरा नम्बर 22, 38, 78, 144, 164, 712, 722, 723, 947, 1658, 1659, 1643, 1644, 1705, 1706, 892, 893, 901, 902, 968 वाके ग्राम थलचाना तहसील पहाड़ी जिला डीग निर्मित किये गए हैं। उक्त विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता/वादी स्वयं को शिकमी काश्तकार खातेदार घोषित कराने के लिए दावा पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया तथा उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.09.1969 को निर्णय पारित करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ने वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं रेस्पोडेन्ट्स बावजूद तामील अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व इस कानूनी प्रावधान पर गौर नहीं किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी की खातेदारी की आराजी पर शिकमी काश्तकार घोषित किया जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर दावा डिक्री किया है जो काबिल निरस्तनीये है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी तथ्य पर गौर नहीं किया कि वक्त दावा अपीलान्ट नाबालिग था जिसका वली सरपरस्त रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता स्व. मुंशी द्वारा नहीं बताया गया और एकतरफा में ही दावा डिक्री कर दिया। अपीलान्ट उस समय नाबालिग था और स्व. उजीरी जो कि अपीलान्ट की नानी थी का देहान्त हो गया था, उनके द्वारा कोई जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आज्ञा पारित की है जो काबिल निरस्तनीये है। आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीये है। मृतक उजीरी अपीलान्ट की नानी थी और अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की वसीयत अपीलान्ट के पक्ष में कर दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया गया कि दावा दायर करने से पूर्व स्व. उजरी की मौत हो चुकी थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री एक मृतक व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई है जो काबिल निरस्तनीय है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपने द्वारा अपील निर्धारित समयावधि की देरी से पेश करने पर निवेदन किया कि इस हेतु प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा में पारित डिक्री व निर्णय हैं जिसकी कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। मौके पर आराजी पर कब्जा प्रार्थी का है। दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थीगण मौके पर आये और प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देते हुए मौके से बेदखल करने की धमकी दी। इस पर प्रार्थी ने पत्रावली का पता लगाया और दिनांक 19.03.2025 को नकल के लिये आवेदन किया। नकल दिनांक 21.03.2025 को मिलने पर अपने अभिभाषक से मिला और समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर होने जानकारी व मिलने नकल से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार कर देरी माफ की जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील डिक्री व निर्णय निरस्त किये जावे।

6. अपीलान्ट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.1969 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 30.04.2025 को पेश की गई है, जो मियाद बाहर है।

7. चूंकि हस्तगत अपील निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं हुई है अतः सर्वप्रथम हम मियाद के बिन्दू पर विचार करना उचित पाते हैं। अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उल्लेखित तथ्यों के विरुद्ध प्रत्यर्थीगण ने न तो कोई जबाब पेश किया है एवं न ही काउन्टर शपथ–पत्र पेश किया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में यह अवधारित किया गया है कि एक गुणवत्तायुक्त प्रकरण को केवल मियाद के बिन्दु पर निस्तारित नहीं किया जावे। तकनीकी एवं प्रक्रियात्मक बिन्दु न्याय निर्णयन में सहायक होने चाहिए बाधक नहीं। अतः जब प्रकरण गुणवत्ताविहीन नहीं हो, केवल मियाद या समय सीमा के बिन्दु पर प्रकरण अन्तिम रुप से निर्णित नहीं करना चाहिए, गुणावगुणों पर भी एक नजर आवश्यक डाल लेनी चाहिए। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा में पारित डिक्री व निर्णय हैं जिसकी कोई जानकारी प्रार्थी को नहीं थी। दिनांक 17.03.2025 को अप्रार्थीगण मौके पर आये और प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देते हुए मौके से बेदखल करने की धमकी दी। इस पर प्रार्थी ने दिनांक 19.03.2025 को नकल के लिये आवेदन किया एवं नकल दिनांक 21.03.2025 को मिलने पर अपने अभिभाषक से मिला और समस्त दस्तावेजों की पूर्ति कर होने जानकारी व मिलने नकल से यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। इस प्रकार उक्त प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित किया जाना उचित है। अतः अपील में सारभूत कानूनी बिन्दु निहित होने से अपील अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर जानकारी से अपील पेश करना मानते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता स्व. मुंशी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक घोषणा का दावा अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत शराब खां उर्म 16 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पुत्र रहमत एवं मू.स. उजीरी बेवा रहीम खां के विरुद्ध पेश कर यह अभिवचन किया था कि वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 2 एक ही खानदान के हैं और प्रतिवादी सं. 2 का पति रहीमखां उर्फ राहगला करीब 27 वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके मरने के बाद से प्रतिवादी सं. 2 अपनी तरफ से वादीगण के जरिये वादग्रस्त आराजी का इन्तजाम काश्त करती रही। क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 के कोई औलाद नहीं थी सम्वत 2016 के माह अषाढ़ में प्रतिवादी सं. 2 ने अपनी आराजी में से खसरा नम्बर 20, 36, 64, 166, 144, 577, 582, 583, 1139, 1148, 1156, 1159, 1162, 1211, 1221, 1222, 1246 वाके मौजा थलचाना वादीगण को निकरावर हमेशा के लिए काश्त के लिए बता दिये थे और वाकी आराजी खसरा नम्बर 1255, 1265, 1267, 1451, 1456, 1471, 167 वादी सं. 1 को बता दी थी। इस प्रकार से वादीगण आराजी मुतनाजा पर बहिस्सा बराबर संवत 2016 से अब तब बदस्तूर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादी सं. 1 के पिता रहमत ने अपनी रिश्तेदारी का नाजायज फायदा उठाकर सालिम आराजी मुतनाजा का इन्द्राज काश्त व दाखिल खारिज प्रतिवादी सं. 1 के नाम संवत 2021 में कांगजात पटवार में करा लिया था। जिसका वादीगण को कोई इल्म नहीं था यह कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम इस गलत इन्द्राज के कायम रहने से वादीगण को शख्त हक तलफी होगी और वादीगण के हकूक खातेदारी को काफी आघात पहुंचेगा। ऐसी सूरत में वादीगण दावा पेश करने के अधिकार हैं यह कि विनाय मुखास्मत दिनांक 27.02.1968 को प्रतिवादी सं. 1 के नाम आराजी मुतनाजा का इन्द्राज काश्त होने से इल्म से पैदा हुई है। दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वहक इस तरह से डिक्री फरमाया जावे कि वादीगण बहिस्सा बराबर आराजी खसरा नम्बर 20, 36, 64, 166, 144, 577, 582, 583, 1139, 1148, 1156, 1159, 1162, 1211, 1221, 1222, 1246 वाके मौजा थलचाना सब तहसील पहाड़ी पर सम्वत 2016 लगायत सम्वत हाल बहैसियत खातेदारी काश्तकारी काबिज है और इन्द्राज काश्त बनाम प्रतिवादीगण खिलाफ मौका व कब्जा गलत दर्ज है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.1969 को निम्न प्रकार निर्णय व डिक्री पारित किए हैं :–

"वकील मुदई उपस्थित मैने वकील मुदई के तर्क को सुना तथा पेशकर्दा सबूत मुदई की मुलाहिजा किया मुदई की दावे के संमन मुतदाविया की जारी किये गये थे मुतदाविया की मुकदमें हाजा में 16.01.1969 वा ता. 14.09.1969 थी बाबजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये। अतः मुतदाविया के विरुद्ध कार्यवाही एकतरफा लाई गई। मुदईगण अपने सबूत एकतरफा लाई गई। मुदईगण ने अपने सबूत एकतरफा में स्वयं के अलावा गट्टर, प्रताप, मंगल, राम चपरासी के बयानात कराये तथा दस्तावेजी सबूत में नकल खसरा सम्वत 2024, 2020 लगायत 2023 एवं नक्शा सजरा पेश करके सबूत सरीक किया। मैने वकील मुदईगण के तर्को को सुना तथा पेशकर्दा सबूत एकतरफा मुदईयान की मुलायजा किया। मुद्ईयान का गवाह गट्टर, परताप इसी गांव के निवासी है, जिसमें आराजी मुतदाविया वाके हैं। यह हरदो अदालत मुदईयान की उजिरी की करली होना तसलीम करते है तथा उसके आराजी मुद्ईयान की काश्त बतलाई है तथा सम्वत 2019 से मुदईयान की आराजी मुत0 पर काश्त करने चले आ रहे हैं तथा उजिरी के पति को मरे हुए 27–28 साल का अरसा होना बतलाया है। यह हरदो गवाह आराजी मुतदाविया पर मुद्ईयान का कोई कब्जा काश्त होना नहीं बतलाते है। इसके अलावा मुद्दईयान गवाह राम चपरासी वर्तमान समन का भी बयान कराया है। वह मुत0 पर तस्दीक कराना तस्लीम करता है। मुत0 के बाबजूद तस्लीम को मुकदमें में कोई पैरवी न करने की यह जाहिर करता है कि वास्तव में मुतदाविया का आराजी मुत0 पर कोई कब्जा काश्त नही है अन्यथा मुत0 मुकदमें हाजा में नियमानुसार पैरवी कर रहे हैं। जिसमें मुद्दाविया से दिलचस्पी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

नहीं होना पाया जाता है। नकल सजरा के अवलोकन से भी मुद्दईयान की उजीरी के हकूक पाई की पहुंचते हैं। इन्द्राज काश्त बनाम मुद्दई शराबखां के नाम जो नाबालिग है अतः नाबालिग की आराजी पर मुद्दईयान के हकूक खातेदारी नही पहुचते है। इस प्रकार पेशकर्दा सबूत मुद्दईयान से मुद्दईयान का संवत 2019 से आराजी मुत0 पर बहैसियत शिकमी काबिज व काश्तकार होना साबित होता है। लिहाजा दावा मुद्दईयान इस अम्र से डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 20, 36, 64, 144, 166, 577, 582, 583, 1139, 1148, 1156, 1159, 1162, 1211, 1221, 1222, 1246 वाके थलचाना तहसील पहाडी पर मुद्दईयान का संवत 2019 से बहैसियत शिकमी काश्त व हिस्सेदार बराबर घोषित किया जाता है। अतः निर्णय के मुताबिक डिक्री तैयार की गई निर्णय सरे इजराय लिखाया जाकर सुनाया गया।''

वादीगण द्वारा पेश वादपत्र एवं उसके अभिवचनों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. 1 शराब खां पुत्र रहमत दौराने दावा नाबालिग था एवं मुस. उजीरी बेवा रहीम खां दौराने दावा विधवा थी स्वयं वादीगण ने भी अपने अभिवचनों में यह कथन किया है कि उजीरी के पति को मरे हुए 27 वर्ष हो चुके हैं जिसके मरने के बाद से प्रतिवादी सं. 2 उजीरी अपनी तरफ से वादीगण को वादग्रस्त आराजी का इन्तजाम काश्त करती रही। क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 के कोई औलाद नहीं थी। सम्वत 2016 के माह अषाढ़ में प्रतिवादी सं. 2 उजीरी ने अपनी आराजी में से वादग्रस्त खसरा नम्बर वादीगण को निकरावर हमेशा के लिए काश्त पर बता दिए थे। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 45 में पट्टे या उपपट्टे पर देने के निर्बन्धन हैं एवं धारा 46 में अपवादिक मामलों में पट्टे व उपपट्टे पर देने बाबत प्रावधान है। धारा 46 निम्न प्रकार है :–

46. आपवादिक मामलों में पट्टे या उप–पट्टे पर देना– (1) खुदकाश्त के धारक या भू–स्वामी द्वारा पट्टे पर और किसी अभिधारी द्वारा उप–पट्टे पर देने पर धारा 45 द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे–

(क) अवयस्क, या

(ख) पागल, या

(ग) जड़, या

(घ) कोई औरत जो अविवाहित हो या जिसका विवाह–विच्छेद हो गया हो या पति पृथक्कृत हो या जो विधवा हो, या

(ङ) कोई व्यक्ति जो अन्धेपन या अन्य शारीरिक निर्योग्यता या दुर्बलता के कारण अपनी जोत पर खेती करने में असमर्थ हो, या

(च) कोई व्यक्ति जो संघ की सशस्त्र सेनाओं का सदस्य हो, या

(छ) कोई व्यक्ति जो कारागृह में निरुद्ध या परिरुद्ध हो, या

(ज) कोई व्यक्ति जो पच्चीस वर्ष से अधिक की आयु का न हो, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन करता हुआ छात्र हो:

परन्तु यदि कोई जोत एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारित हो तो इस धारा के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि सभी ऐसे व्यक्ति इस धारा में विनिर्दिष्ट प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार के न हों।

(2) कोई पट्टा या उप–पट्टा, जो, यदि उपधारा (1) के उपबंध न होते तो अविधिमान्य होता, पट्टेदार की मृत्यु हो जाने या उसके उस उपधारा में विनिर्विष्ट प्रकार में से किसी प्रकार न रह जाने के पश्चात् दो वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

इस प्रकार उक्त अपवादों के अधीन व्यक्ति के ऐसे अधिकार की रक्षा करने के लिए ही धारा 46 के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किए गए हैं। इस धारा के अन्तर्गत वर्णित निर्याग्यता से ग्रस्त व्यक्ति की यह धारा मदद करती है कि वह अपनी जोत की भूमि को किसी को उप–पट्टे पर दे सकता है और धारा 45 में लगाये निर्बन्धन (शर्ते) उस पर लागू नहीं होते हैं और उसके द्वारा अपनी जोत पट्टे पर देने की कोई समय सीमा नहीं है, उसका जोत में का हित सदैव बना रहता है।

हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि विधवा एवं उसके बाद नाबालिग की थी। एक विधवा तथा अवस्यक की भूमि के विरुद्ध कोई व्यक्ति यह कथन करके की उन्होंने वादग्रस्त भूमि उसको उप–पट्टे पर काश्त हेतु दी थी, शिकमी घोषित नहीं हो सकता है। साथ ही जब एक उप अभिधारी एक विधवा या अवयस्क की भूमि पर काश्त करता है, तो ऐसे उप–अभिधारी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते।

यदि कोई व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर स्वयं को शिकमी काश्तकार बताता है और राजस्व अभिलेख में खातेदार कोई अन्य व्यक्ति है तो शिकमी काश्तकार यह कथन करता है कि भूमि उसे बंटायी पर दी गयी है और तब से वह भूमि पर काबिज है, केवल यही तथ्य उसको उस भूमि पर कब्जा बनाये रखने का अधिकार नहीं बनाता, पर राजस्व अभिलेख में यदि उसके समर्थन में कुछ भी नहीं है तो उसे भूमि पर अतिक्रमी ही माना जाएगा।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उजीरी विधवा द्वारा उसकी खातेदारी भूमि वादीगण को काश्त के लिए सम्वत 2016 में माह आषाढ़ में निकरावर हमेशा के लिए बता दिए जाने के कथन को मानकर उसकी भूमि पर वादीगण को शिकमी काश्तकारी घोषित किया है वह कतई न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है। चूंकि पत्रावली पर कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है इसलिए हम उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई हेतु एवं विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली प्रतिप्रेषित की जानी उचित एवं न्यायोचित मानते हैं।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.1969 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचनानुसार उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत लेकर, विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए नये सिरे से पुनः निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 06.07.2026 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीग के समक्ष उपस्थित हों।
10. निर्णय आज दिनांक 03.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर